न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 51/2024

दायर दिनांक-04.04.2024

1. किशनाराम पुत्र फूलचंद
2. प्रभातीलाल पुत्र फूलचंद
3. कमला पुत्री फूलचंद
4. मंजू देवी पुत्री फूलचंद
5. संतोष देवी पत्नी फूलचंद समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

-प्रतिवादी

वकील वादी : - श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया
वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 21.06.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 866 रकबा 2.0200 है0, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.9000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.9200 है0 स्थित है। वादग्रस्त भूमि का खातेदार फूलचंद पुत्र सुरजाराम था जो कि वादी संख्या 1 लगायत 4 का पिता व वादी संख्या 5 का पति है। फूलचंद पुत्र सुरजाराम का नाम आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि तमाम दस्तावेजों में फूलचंद दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख मे वादीगण के पिता/पति का नाम फूलाराम पुत्र सुरजाराम गलत दर्ज है। वादीगण के पिता व पति का दिनांक 18.01.2021 को स्वर्गवास हो गया जिसके उपरांत वादग्रस्त आराजी का विरासतन नामांतकरण दर्ज किया गया जिसमें वादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व वादी संख्या 5 के पति का नाम फूलाराम गलत दर्ज कर दिया। अतः उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख मे वादीगण 1 लगायत 4 के पिता व वादी संख्या 5 के पति का नाम फूलाराम के स्थान पर फूलचंद दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 राज पैरोकार की ओर से जबाब पेश नही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में आधार कार्ड मंजू देवी, मृत्यु प्रमाण पत्र फूलचंद, खाता बंद प्रमाण पत्र, जमाबंदी संवत 2075-78, अधार कार्ड कमला, आधार कार्ड किशनाराम, आधार कार्ड फूलचंद, आधार कार्ड संतोष, आधार कार्ड प्रभातीलाल आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद-पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में विवादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 पेश की है तथा वादीगण के पिता/पति के नाम के सम्बन्ध में दस्तावेजात के रूप में वादीगण द्वारा स्वयं के आधार कार्ड, अपने पिता फूलचंद का आधार कार्ड तथा फूलचंद का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमें वादीगण के पिता/पति का नाम फूलचंद होना साबित है। स्व. फूलचंद के फौत होने पर जब उक्त आराजी का विरासतन नामान्तकरण भरा गया तब वादिगण के पिता/पति का नाम फूलाराम गलत दर्ज कर दिया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह साबित है कि विरासत के नामान्तरण में वादीगण के पिता/पति का नाम गलत दर्ज किया गया है तथा वादीगण मृतक फूलचंद के जायंदा वारिसान है इसलिए वादीगण के पिता/पति का नाम फूलाराम के स्थान पर फूलचंद दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

7

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। है। राजस्व ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 866 रकबा 2.0200 है0, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.9000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.9200 है0 भूमि में वादीगण के पिता/पति का नाम फूलचंद दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार नवलगढ को जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/06/24

(हवाई सिंह [illegible])
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 51/2024 **(किशनाराम बनाम भूमि धारक आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.06.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 866 रकबा 2.0200 है0, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.9000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.9200 है0 भूमि में वादीगण के पिता/पति का नाम फूलचंद दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार नवलगढ को जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.06.2024 को जारी की गई।

21/06/24
हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00